मौका रिपोर्ट ... की गई। रिपोर्ट अनुसार ... क्रम्य 85
आगोसी मुताबिक आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आधार कार्ड के आवेदक का नाम कायमआली की बजाय कयामुद्दीन पुत्र रमजान शुद्ध किया जाना उचित है।

... राजस्व ... 2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी

667/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

—: आदेश :—

दिनांक :— 28/10/21

... खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ... दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी को राजस्व ... में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	केड	2075-78	217	कायम आली पुत्र रमजान आली हिस्सा 1/6 जाति कायमखानी साकिन केड खोटेदार	कयामुद्दीन पुत्र रमजान हिस्सा 1/6 जाति कायमखानी साकिन केड खातेदार

नोट :—शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की ... जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 28/10/21

... /2020/ 484-85

... तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

... प्रार्थीया ...कयामुद्दीन पुत्र रमजान ... केड कायमखानी ... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 11:06:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner